भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †1927

उत्तर देने की तारीख 13 मार्च, 2023 (सोमवार)

22 फाल्गुन, 1944 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्व राज्यों में अवसंरचना का विकास

†1927. श्री दिलीप शइकीया:

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम सहित उत्तर-पूर्व राज्यों में आधारभूत अवसंरचना के विकास हेतु परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) राज्यों में आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए अनुमोदन हेतु लंबित परियोजनाओं की संख्या कितनी है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ख) 55 गैर-छूट प्राप्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का कम से कम 10% क्षेत्र के समग्र विकास के लिए खर्च करना अधिदेशित किया गया है। 10% जीबीएस के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से इन केंद्रीय मंत्रालयों /विभागों द्वारा 3.84 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 10% जीबीएस के तहत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका-1 में दिया गया है:

तालिका-1 - 10% जीबीएस के तहत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2014-15	36,108	27,359	24,819
2015-16	29,088	29,669	28,674
2016-17	29,125	32,180	29,368
2017-18	43,245	40,972	39,753
2018-19	47,995	47,088	46,055
2019-20	59,370	53,374	48,534
2020-21	60,112	51,271	48,564
2021-22	68,020	68,440	70,874
2022-23	76,040	72,540	47,785*
कुल	**4,49,103**	**4,22,893**	**3,84,426**

स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट का विवरण-11

नोट: वास्तविक व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं और वित्त मंत्रालय की जांच के अधीन हैं।

*** चालू वर्ष 2022-23 के लिए तीसरी तिमाही के अंत यानी 31.12.2022 तक सभी 55 मंत्रालयों/विभागों का कुल जीबीएस व्यय।**

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा कई अवसंरचना विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः-

सड़क कनेक्टिविटी: पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही प्रमुख राजधानी सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाओं में नागालैंड में दीमापुर-कोहिमा सड़क (62.9 किमी) की 4-लेनिंग; अरुणाचल प्रदेश में नौगांव बाईपास से होलोंगी (167 किमी) तक 4-लेनिंग; सिक्किम में बागराकोटे से पाक्योंग (एनएच-717ए) (152 किमी) तक वैकल्पिक दो-लेन राजमार्ग; मिजोरम में आइजोल - तुइपांग एनएच-54 (351 किमी) की 2-लेनिंग; मणिपुर में एनएच-39 के इंफाल - मोरे खंड (20 किमी) की 4-लेनिंग और 75.4 किमी की 2-लेनिंग शामिल हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले सात वर्षों (2021-22 सहित, दिसंबर, 2022 तक) में कुल 4121 किमी की सड़क परियोजनाएं पूरी की गई हैं। 1,05,518 करोड़ रु. राशि की 7545 किलोमीटर लंबाई की परियोजनाएं जारी हैं।

वायु कनेक्टिविटी: पूर्वोत्तर क्षेत्र में 17 हवाई अड्डों का प्रचालन किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दोन्यी पोलो हवाई अड्डे (पहले होलोंगी हवाई अड्डा) का उद्घाटन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तेजू में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे; असम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और

सिलचर हवाई अड्डे; मणिपुर में इंफाल हवाई अड्डा; मेघालय में बारापानी हवाई अड्डा और त्रिपुरा में अगरतला हवाई अड्डा आदि का विकास जारी है।

रेल कनेक्टिविटीः पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से अब तक 19,855 करोड़ रु. राशि की 864.7 किलोमीटर लंबाई की नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में, नई लाइनों के साथ-साथ दोहरीकरण के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरी तरह/आंशिक रूप से शामिल 2,011 किलोमीटर लंबाई के लिए 74,485 करोड़ रुपये की लागत वाली 20 परियोजनाएं आयोजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 321 किलोमीटर लंबाई चालू कर दी गई है और 26,874 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

जलमार्ग कनेक्टिविटी: धुबरी (बांग्लादेश सीमा) से सादिया (891 किमी) तक ब्रह्मपुत्र नदी को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (एनडब्ल्यू-2) के रूप में घोषित किया गया था। जलमार्ग को आवश्यक गहराई और चौड़ाई के फेयरवे, दिन और रात के नेविगेशन एड्स और टर्मिनलों के साथ विकसित किया जा रहा है। निर्मित और नियोजित सुविधाओं पर 5 वर्षों (2020-2025) के दौरान 461 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बराक नदी को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (एनडब्ल्यू -16) के रूप में घोषित किया गया था। यह भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग के माध्यम से असम की कछार घाटी में सिलचर, करीमगंज और बदरपुर को हल्दिया और कोलकाता बंदरगाहों से जोड़ता है। निर्मित और नियोजित सुविधाओं पर 5 वर्षों (2020-2025) के दौरान 145 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

दूरसंचार कनेक्टिविटी: दूरसंचार विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए इस क्षेत्र में कई परियोजनाएं भी शुरू की हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित परियोजनाएं भी शामिल हैं (i) असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश (केवल राष्ट्रीय राजमार्ग) में अनकवर्ड गांवों में मोबाइल सेवाएं और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ निर्बाध कवरेज (ii) मेघालय में और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ 4जी प्रौद्योगिकी पर मोबाइल कनेक्टिविटी; (iii) अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में मोबाइल कनेक्टिविटी; (iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के लिए भारत नेट और वाई-फाई कनेक्टिविटी; और (v) कॉक्स बाजार के माध्यम से बीएससीसीएल, बांग्लादेश से अगरतला तक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 10 जीबीपीएस अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ किराए पर लेना। पूर्वोत्तर राज्यों में, 1,246 गांवों को कवर करते हुए 1,358 टावर स्थापित किए गए हैं और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

विद्युत कनेक्टिविटी: विद्युत मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में 2014 से विद्युत उत्पादन (हाइड्रो/थर्मल) परियोजनाएं भी शुरू की हैं। इसके अलावा, इन पूर्वोत्तर राज्यों में पारेषण और वितरण नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 740 मेगावाट की 03 जल

विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) शुरू की गई हैं। असम राज्य में एक गैस आधारित विद्युत परियोजना अर्थात् मैसर्स असम पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 69.755 मेगावाट क्षमता (7x9.965 मेगावाट) की लखवा प्रतिस्थापन विद्युत परियोजना 14.02.2018 को शुरू की गई थी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों को अपनी विद्युत वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्कीमें शुरू की हैं ताकि वितरण अवसंरचनाओं आदि की मीटरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमता के साथ-साथ उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के सृजन/संवर्धन के लिए वित्तपोषण प्रदान किया जा सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें नई पारेषण लाइनें, मौजूदा उपकेंद्रों का विस्तार/उन्नयन, परिवर्तन क्षमता में वृद्धि, पारेषण लाइनों का पुन संचालन आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) दो प्रमुख अंतर-राज्य विद्युत पारेषण और वितरण स्कीमें नामतः (i) 6700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर स्वीकृत अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण प्रणालियों (33केवी और उससे अधिक) के सुदृढ़ीकरण के लिए छह राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड) के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी); और (ii) 9129.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक स्कीम कार्यान्वित कर रही है।

संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग के लागू स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया का पालन करने के बाद अवसंरचना विकास परियोजनाओं को मंजूरी देते हैं। परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित तिथि परियोजना के आकार, इसके स्थान, सैक्टर आदि के आधार पर हर परियोजना के लिए भिन्न होती है। स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा परियोजना स्थल के भौतिक निरीक्षण आदि सहित विभिन्न तंत्रों के माध्यम से की जाती है।

इसके अतिरिक्त, असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न अवसंरचना परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पिछले आठ वर्षों (2014-15 से 2021-2022) के दौरान असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और एनईसी की स्कीमों के तहत 15,375 करोड़ रुपये की 1,195 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों का उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय/पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों के तहत वित्तपोषण स्कीम के दिशानिर्देशों और स्कीम के तहत उपलब्ध आवंटन के अनुसार किया जाता है। मंत्रालय/पूर्वोत्तर परिषद में प्राप्त होने के बाद एक

सुनिर्धारित प्रक्रिया के तहत उचित समय के भीतर इन प्रस्तावों के अनुमोदन पर विचार किया जाता है। सामान्यतः, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय/पूर्वोत्तर परिषद द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की पूर्णता की लक्ष्य तिथि स्वीकृति मिलने की तारीख से 2-3 वर्ष होती है।

*****